(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1430–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–4–17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 492/अपील/2016–17.

बसंतीलाल पिता भागीरथ कुमावत
निवासी ग्राम फुलान
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मनोज कुमार पिता सुभाषचंद्र महाजन
2– हेमचंद पिता मोहरीलाल झांझुरी
निवासीगण ग्राम गौतमपुरा
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री संजय बिरोलिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::
(आज दिनांक 10/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय देपालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–99 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर के समक्ष दिनांक 7–4–16 को लगभग 17 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 52/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 26–7–16 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील समाप्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा

दिनांक 28–4–17 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा जिस व्यवहार न्यायालय की डिक्री दिनांक 16–9–99 के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, उक्त डिक्री के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील लम्बित होकर दिनांक 27–10–99 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय को आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 250 (1)(ख) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश था, जिसके सम्बन्ध में समय–सीमा लागू नहीं होती है, इसके बावजूद दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(4) अपीलीय न्यायालयों ने इस विधिक तथ्य पर कोई विचार नहीं किया है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–99 के पश्चात भी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का निरन्तर कब्जा होने से उसे विरोधी कब्जा के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो गया है, इस कारण भी तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत बजावरी प्रकरण में पूरे आदेश को अनदेखा किया गया है, क्योंकि कब्जे के सम्बन्ध में अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 1986 आर.एन. 131, 1988 आर.एन. 187 (उच्च न्यायालय), 1980 आर.एन. 505 (उच्च न्यायालय), 2001 आर.एन. 139 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में स्वत्व का निराकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हो चुका है और प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदकगण को भूमिस्वामी माना गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से कब्जा नहीं सौंपने के उद्देश्य से 17 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को देखने से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 1991 से है, जबकि उसके द्वारा कब्जा हटाने का आवेदन पत्र वर्ष 1999 में दिया गया है । अतः अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र समय बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं थी । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया, अतः तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी आवेदक को नहीं होना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय बाह्य मानने की त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देने में अवैधानिकता की गई है । जहां तक व्यवहार न्यायालय से स्वत्व की घोषणा का प्रश्न है, उसकी विषय–वस्तु तथा संहिता की धारा 250 की विषय–वस्तु पृथक–पृथक हैं, अतः मात्र इस आधार पर संहिता की धारा 250 के प्रकरण में अनावेदकगण को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–17, अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–16 एवं तहसील न्यायालय देपालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–99 निरस्त किये जाते है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर